राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847 (O)

पत्रांकः एफ 7 (4)अकाद/अकाशि/2019/ 172-180 दिनांकः 02-7-2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय– अकादमिक सत्र 2019–20 के सफलतापूर्वक शुभारम्भ एवं सुचारू संचालन के संबंध में।

महोदय,

सभी प्राचार्यों एवं संकाय सदस्यों को दिनांक 1 जुलाई, 2019 से नियमित कक्षाऐं आरम्भ करने और इस प्रयोजनार्थ अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से इन्हें संचालित करने के लिये हार्दिक आभार। आप सभी की कर्तव्यनिष्ठा एवं मेहनत का प्रतिफल है कि हम वचनबद्धता के अनुसार 1 जुलाई को नियमित कक्षाऐं आरम्भ कर सकें। आपका यह प्रयास महाविद्यालय शिक्षा में कक्षाओं के आरम्भ होने के लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिवस रहेगा।

परन्तु इस प्रयास की पूर्ण सफलता प्राप्ति अभी दूर है क्योंकि इन नियमित कक्षाओं का सुचारू संचालन किन्हीं कारणोंवश चुनौतिपूर्ण हो सकता है। हम सबको मिलकर उन चुनौतियों का सामना करना है और उन्हें हल करने का हर सम्भव प्रयास करना है। हमें हर हाल में विद्यार्थी हित में नियमित कक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों के लिये कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना आपका और आयुक्तालय का संयुक्त दायित्व है। अतः आपके महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं के संचालन में संकाय सदस्य अभाव अथवा अधिक पद रिक्त होने पर अपेक्षित व्यवधान की सूचना अपने संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से अविलम्ब लिखित में प्रेषित करें ताकि आयुक्तालय स्तर से तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा सके। साथ ही महाविद्यालय स्तर पर भी वैकल्पिक व्यवस्था का हर सम्भव प्रयास करने का श्रम करें ताकि विद्यार्थियों का किसी भी सूरत में नुकसान न हो।

इसी के साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके महाविद्यालय में पदस्थापित ऐसे संकाय सदस्य जो अपने विषय में ई–व्याख्यान रिकार्ड करवाने में स्वैच्छिक आधार पर इच्छुक हों तो उनके नाम और विषय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें ताकि आपके महाविद्यालय के निकटस्थ स्थित स्मार्ट क्लासरूम केन्द्र पर उनका व्याख्यान रिकार्ड करवाने की व्यवस्था की जा सके।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त, कालेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
पत्रांकः एफ 7 (4) अकाद/अकाशि/2019/ 172-180 दिनांकः 02-7-2019

1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, HRD//PI/RUSA/Acad./P&C/ आकाशि, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर को इस कार्य की मॉनिटरिंग हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को निर्देशानुसार प्रति भेजकर लेख है कि अपने संबंधित महाविद्यालयों से सम्पर्क कर इस आदेश की क्रियान्विति सुनिश्चित करें तथा महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना को संयुक्त निदेशक (अकादमिक) को व्यक्तिशः प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ, आकाशि, जयपुर को समन्वय हेतु।
7. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

2/7/19

डॉ. आर.सी.मीणा,
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)